उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

17/7/23 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। विपक्षीगण का जवाब अप्राप्त। जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। दोनों पक्षों के वकीलों से बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 199/2022

प्रार्थीगण :–
1. हेमाराम पुत्रमोबताराम
   जाति जाट निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–
1. मंगलाराम पुत्रसदराम जाति विश्नोई निवासी चितरोड तहसील सेडवा
2. रूगनाथराम पुत्रहरीराम जाति विश्नोई निवासी गंगासरा तहसील सेडवा
3. रिडमलराम पुत्र भारमलराम जाति विश्नोई निवासी गोडा तहसील सेडवा
4. मनोहरीदेवी पत्नी पवन कुमार जाति जैन निवासी बाण्ड तहसील नौखडा
5. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 ता 3**
3. **श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 4**

—:: आदेश ::—

दिनांक :– 17.07.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र कोई जबाव पेश नहीं किये जाने से विप्रार्थीगण का जबाव का अवसर बन्द किया गया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा डाबड पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1556/6, 1556/2 रकबा क्रमशः 0.1133, 0. 1052 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा डाबड पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1556/6, 1556/2 रकबा कमशः 0.1133, 0.1052 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/7/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी